न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
20/2014

तारीख दायर	तारीख फैसला
03-07-2014	17/3/20

उनवान

01. हलीमा पुत्री स्व0 श्री नत्थू पत्नी श्री ताहिर जाति मेव निवासी ग्राम गैलपुर तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद बाड़ौट तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर (राजस्थान)

——:: अपीलान्टा

बनाम

01. ग्राम पंचायत मसीत तहसील तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) जर्ये सरपंच
02. रहमत
03. ईसाक पुत्रान स्व0 श्री नत्थु जातियान मेव निवासीगण ग्राम गैलपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

——:: रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 173 दर्ज दिनांक 24.10.88 व स्वीकार दिनांक 29.03.1989 वाके ग्राम गैलपुर ग्राम पंचायत मसीत तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-:: निर्णय ::-

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 173 वाके ग्राम गैलपुर तहसील तिजारा ग्राम पंचायत मसीत के निर्णय के विरूद्व पेश की जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दर्ज दिनांक 24.10.88 व स्वीकार दिनांक 29.03.89 को मृतक नत्थु पुत्र श्री मेहरचन्द की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा विधि विरूद्व तरीके से गलत दर्ज कर दिया। वक्त मृतक पिता नत्थू के देहान्त के समय अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तथा मेरा भाई अब्दुल व मेरी माता चन्द्रबी विधिक वारिसान जीवित थे, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया और मात्र मिन अपीलान्टा का नाम हजफ करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तथा मेरे भाई अब्दुल तथा मेरी माता चन्द्रबी के नाम का अमल राजस्व जमाबन्दी में आ गया, जो विधि विरूद्व तरीके से आदेश पारित कर दिया, जो कानून व मौका के खिलाफ है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आदेश का गलत एवं विधि विरूद्व है, जो काबिल अपास्त है। मेरी माता चन्द्रबी व मेरे भाई अब्दुल का देहान्त हो चुका है तथा अब अब्दुल के वारिस उसके हिस्से की आराजी पर काबिज है लेकिन अभी उनके नाम का अंकन नहीं आया है। मृतक नत्थू की कुल आराजी में अपीलान्टा का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के समान विरासत में हक व अधिकार हासिल है। मिन अपीलान्टा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और आराजी में निहित है और मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत का उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी के बाद वकील से कानूनी सलाह प्राप्त कर आज दिनांक को अपील अविलम्ब ही पेश की जा रही है। दफा-5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित है रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलान्टा की प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलान्टा ने प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड कर पुनः इतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया। अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया।

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर इतकाल संख्या 173 दिनांक 29.01.80 वाके ग्राम मैलपुर ग्राम पंचायत मसीत को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच की जाकर पुनः इतकाल की कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(के. राम बाला)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)